94153 4539 (6)

Rs 20000 रु भारतीय गैर न्यायिक Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 165621

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रू0 10,82,848/-
बाजारू मूल्य - रू0 3,01,400/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रू0 1,08,300/-

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	परगना	-	बिजनौर
3.	ग्राम	-	नारायणनगर उर्फ बगियामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या 133 रकबा 0.671, खसरा संख्या 138अ रकबा 0.226 हेक्टेअर व खसरा संख्या 138ब रकबा 0.197 हेक्टेअर कुल रकबा

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

165622

1.094 हेक्टेअर मे से 0.820 हेक्टेअर पहले बिक चुका है। शेष विक्रीत रकबा 0.274 हेक्टेअर, स्थित ग्राम- यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.274 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	कोई पेड़ नही है।
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नही है ।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

165623

लखनऊ कोषागार से जारी

8 SEP 2006

- 3 -

<u>चौहद्दी खसरा नं0 133</u>

उत्तर	:	खसरा नं0- 132
दक्षिण	:	खसरा नं0- 134
पूरब	:	खसरा नं0- 138
पश्चिम	:	खसरा नं0- 68, 69

<u>चौहद्दी खसरा नं0 138 अ व 138ब</u>

उत्तर	:	खसरा नं0- 137
दक्षिण	:	खसरा नं0- [illegible]
पूरब	:	खसरा नं0- 142, 143, 144
पश्चिम	:	खसरा नं0- 132

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 222244

लखनऊ कोषागार से जारी

12 SEP 2006

स. को. ए/कोषाधिकारी

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
दिलीप पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	रामलखन पुत्र श्रीपाल कोरी निवांसी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नवगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख दिलीप पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा

दिलीप कुमार

नि० रामलखन

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 303852

गया है एवम् रामलखन पुत्र श्रीपाल कोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नवगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया ।

यह कि विकेता भूमि खसरा संख्या 133 रकबा 0.671, खसरा संख्या 138अ रकबा 0.226 हेक्टेअर व खसरा संख्या 138ब रकबा 0.197 हेक्टेअर कुल रकबा 1.094 हेक्टेअर मे से 0.820 हेक्टेअर पहले

दिलीप कुमार

रामलखन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 300278

बिक चुका है। शेष विक्रीत रकबा 0.274 हेक्टेअर, स्थित ग्राम- यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00034 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा

दिलीप कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 413292

विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300282

अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने

दिलीप कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

800280

का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 10,82,848/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया हे एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 300281

अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व

दिलीप कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 612043

व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे । विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके

दिलीप कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 712993

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह

दिलीप कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 712994

का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियागऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के ~~अन्तर्गत~~ आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर हैं इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 3,01,400/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 712995

से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,08,300/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग

आदर्श लोक.., लखनऊ

दिनांक 7-5-07

मूल्य 100

नाम .... स्टाम्प

द्वारा .... राम लखन

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

विक्रय पत्र

1,082,848.00/	302,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती दिलीप

पुत्र / पत्नी श्री राम प्रसाद

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी यूसुफनगर बगिया मऊ लखनऊ

अस्थायी पता

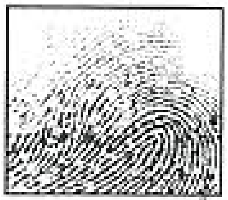

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 7/5/2007 समय 5:37PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

राकेश शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
7/5/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती दिलीप
पुत्र/पत्नी श्री राम प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी यूसुफनगर बगिया मऊ लखनऊ

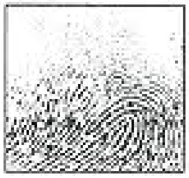

क्रेता

श्री/श्रीमती राम लखन
पुत्र/पत्नी श्री श्रीपालकोरी
पेशा व्यापार
निवासी मिर्जापुर गिढारी फतेह पुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री विवेका नन्द

पुत्र श्री माधीव

पेशा व्यापार

निवासी यूसुफ नगर बगियामऊ लखनऊ

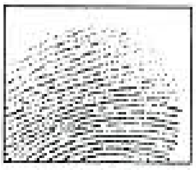

व श्री पंकज पाठक

पुत्र श्री हरी शंकर पाठक

पेशा व्यापार

निवासी जयहिन्द काम्पलेक्स लखनऊ

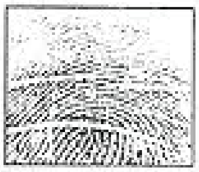

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

राकेश शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
7/5/2007

पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं केता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है ।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने केता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर [illegible]

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 10,82,848/- द्वारा चेक संख्या- 418054 दिनांकित 07.05.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य [illegible] दस लाख बयासी हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं ।

लखनऊः
दिनांक : 07.05.2007
गवाह :

1.

2.

विक्रेता

केता

टाईपकर्ता
(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(बैकुंठ रमन सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 4539 Year : 2007 Book No. 1

0101 दिलीप

राम प्रसाद

यूसुफनगर बगिया मऊ लखनऊ

व्यापार

ग्राम ... परगना ... तहसील ...

खसरा सं 133, 134 ... जिला

रकबा

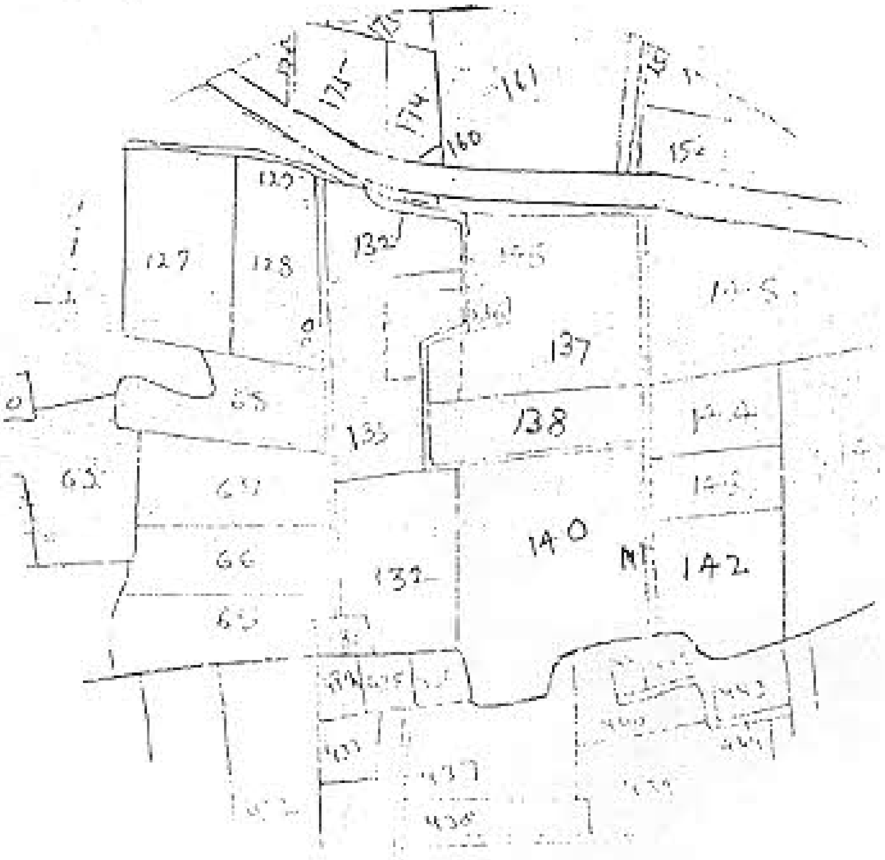

विक्रेता दिलीप कुमार

क्रेता

क्रेता

Registration No. 4539

Year : 2007

Book No. 1

0201 राम लखन

श्रीपालकोरी

मिर्जापुर भिठारी फतेह पुर

व्यापार

...अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

...विक्रेता नाम व पता :- दिलीप ...

...थ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दिलीप कुमार

...तकर्ता / विक्रेता / क्रे... हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- ...

...यें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / ... हस्ताक्षर

आज दिनांक 07/05/2007 को

बही सं. 1 जिल्द सं 8317

पृष्ठ सं. 113 से 148 पर कमांक 4539

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

राकेश शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
7/5/2007